स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)(   )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 224 दिनांक : 18.06.2022 22

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, के समक्ष इस विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2019-20 के आधार पर आलौच्य अवधि के अन्त में अमानत / धरोहर प्रतिभूति निक्षेप सम्बन्धी स्थिति आक्षेप संख्या 10 में दर्शाकर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणी स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा की गई है।

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 265(1) के अनुसार सम्पूर्ण एक वर्ष तक अदावाकृत 100/- रुपये के निक्षेप या तीन लेखा वर्षो से अधिक समय से अदावाकृत छात्रों द्वारा जमा कराई गई अन्य जमाएँ कोसन मनी सहित अन्य निक्षेप या शेष प्रत्येक वर्ष के मार्च माह की समाप्ती पर व्यपगत (Lapsed) हुई समझे जायेंगे तथा कोषागार अधिकारी द्वारा राजस्व के उपयुक्त शीर्ष के अधीन जमा कराये जायेंगे। संस्था में प्रतिभूति पंजिका संधारण के अभाव में यह ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो सका की अवशेष अर्नेस्ट मनी राशि में से कितनी राशि व्यपगत हो चुकी है। उक्त नियम के अंतर्गत जमा अर्नेस्ट मनी की जांच करवाकर व्यपगत राशि को राजस्व मद में जमा करवाये।

(2) संस्था के अधीनस्थ इकाई अधिकारियों के द्वारा कुछ निविदा प्रकरणों मे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 42 के अनुसार निविदा दाताओं से 2 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई है।

(3) संस्था के अंतर्गत इकाई अधिकारियों के द्वारा अमानत / धरोहर राशि की पंजिकाएं संधारित नहीं की जा रही है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के क्रम में आगामी आवश्यक कार्यवाही उक्तानुसार सुनिश्चित कराने एवं नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त करने तथा निर्धारित प्रारूप में धरोहर राशि पंजिका संधारित कराने हेतु निर्देश जारी किये जाते है। इस संबंध मे जारी निर्देशों के अनुसरण मे उक्तानुसार अक्षरशः पालना करावे।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक